

अधिसूचना संख्या 29/2024-सीमा शुल्क 39/2024-सीमा शुल्क दिनांक 23 जुलाई 2024 का

स्पष्टीकारक ज्ञापन : -

क्र सं	अधिसूचना संख्या	विवरण
1.	29/2024-सीमा शुल्क दिनांक 23 जुलाई 2024	अधिसूचना संख्या 154/94-सीमा शुल्क दिनांक 13 जुलाई 1994 में संशोधन करती है, जो वाणिज्यिक नमूनों के शुल्क मुक्त आयात का प्रावधान करती है।
2.	30/2024-सीमा शुल्क दिनांक 23 जुलाई 2024	अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क दिनांक 30 जून 2017 में संशोधन करती है, जिसमें बीसीडी सम्बंधित परिवर्तन किये जा रहे हैं।
3.	31/2024-सीमा शुल्क दिनांक 23 जुलाई 2024	भारत-यूई सीईपीए के तहत दरों को संशोधित करने के लिए अधिसूचना संख्या 22/2022-सीमा शुल्क दिनांक 30 अप्रैल 2022 में संशोधन करती है ।
4.	32/2024-सीमा शुल्क दिनांक 23 जुलाई 2024	अधिसूचना संख्या 11/2021-सीमा शुल्क दिनांक 1 फ़रवरी 2021 में संशोधन करती है, ताकि कुछ वस्तुओं पर लागू एआईडीसी को संशोधित किया जा सके।
5.	33/2024-सीमा शुल्क दिनांक 23 जुलाई 2024	अधिसूचना संख्या 57/2000-सीमा शुल्क दिनांक 8 मई 2000 में संशोधन करती है, जो निर्दिष्ट योजनाओं के तहत आयातित सोने, चांदी और प्लैटिनम के लिए रियायती दर प्रदान करता है।
6.	34/2024-सीमा शुल्क दिनांक 23 जुलाई 2024	इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित अधिसूचना संख्या 25/1999-सीमा शुल्क, 25/2002-सीमा शुल्क और 57/2017-सीमा शुल्क में संशोधन करती है।
7.	35/2024-सीमा शुल्क दिनांक 23 जुलाई 2024	अधिसूचना संख्या 08/2020-सीमा शुल्क दिनांक 1 फ़रवरी 2020 में संशोधन करती है, ताकि कुछ वस्तुओं पर स्वास्थ्य उपकरण को संशोधित कर सके।
8.	36/2024-सीमा शुल्क दिनांक 23 जुलाई 2024	महत्वपूर्ण खनिजों को बीसीडी और एसडब्ल्यूएस से छूट/रियायती दर प्रदान करती है।
9.	37/2024-सीमा शुल्क दिनांक 23 जुलाई 2024	अधिसूचना संख्या 27/2011-सीमा शुल्क दिनांक 1 मार्च 2011 में संशोधन करती है, जिससे कच्ची खाल, चर्म और चमड़े की निर्दिष्ट वस्तुओं पर निर्यात शुल्क में संशोधन किया जा सके।

10.	38/2024-सीमा शुल्क दिनांक 23 जुलाई 2024	32 अधिसूचनाओं की वैधता की अवधि आगे बढ़ाने के लिए संशोधन करती है और रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल के लिए आयात किए जाने पर कुछ विदेशी मूल के सामानों के पुनः निर्यात के लिए समय अवधि बढ़ाने के लिए अधिसूचना 153/94-सीमा शुल्क में संशोधन करती है।
11.	39/2024-सीमा शुल्क दिनांक 23 जुलाई 2024	अधिसूचना संख्या 45/2017-सीमा शुल्क दिनांक 30 जून 2017 में संशोधन करती है, जिससे पुनः आयात की समयावधि बढ़ाई जा सके।

अधिसूचना संख्या 51/2024-सीमा शुल्क (गै. टे.) दिनांक 23 जुलाई 2024 का स्पष्टीकारक ज्ञापन: -

क्र सं	अधिसूचना संख्या	विवरण
1	51/2024-सीमा शुल्क (गै. टे.) दिनांक 23 जुलाई 2024	नए शिपर्स की समीक्षा प्रदान करने के लिए सीमा शुल्क टैरिफ (सब्सिडाइज्ड वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन, और उन पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 में संशोधन करती है।